झारखण्ड सरकार

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा

राज्यों के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों के

14वीं राष्ट्रीय अधिवेशन

में

श्री सुदेश कुमार महतो

माननीय उप मुख्य मंत्री–सह–जल संसाधन मंत्री
झारखण्ड सरकार

का

अभिभाषण

नई दिल्ली
दिनांक : 03.10.2012

0651-2551353/56

जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों के अधिवेशन में केन्द्र सरकार द्वारा मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं सुवर्णरेखा परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की भारत सरकार के निर्णय के लिए आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि यह कदम झारखण्ड राज्य के लिए ही नहीं वरन् पूरे पूर्वी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इसका प्रभाव पूर्वी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि यह योजना झारखण्ड, उड़ीसा एवं बंगाल के 3,33,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरान्त इस योजना में त्वरित गति से कार्य आरम्भ कर दिया है और मुझे आशा है कि निर्धारित अवधि में भारत सरकार की शर्त्तों के अनुरुप इसे पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्य की आबादी तीन करोड़ उन्तीस लाख (3,29,00,000) है एवं भौगोलिक क्षेत्रफल उन्नासी लाख सत्तर हजार (79,70,000) हेक्टेयर है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि आधारित है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 1100 से 1400 मि.मी. वर्षा होती है।

हमारी 16 नदी बेसीन, सब बेसीन में कुल 27,520 एम.सी.एम. सतही जल एवं 7,046 एम.सी.एम. भूगर्भीय जल उपलब्ध है । हमारे राज्य की उन्तीस लाख चौहत्तर हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 37.32% ही है। राज्य की अधिकतम सिंचाई क्षमता चौबीस लाख पच्चीस हजार हेक्टेयर है । इसमें से 7लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है, जो अधिकतम सिंचाई क्षमता का लगभग 32%है । इस सिंचाई क्षमता को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 63.32% करने का लक्ष्य है । 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7 लाख 60 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । यह उपलब्धि हमें सिंचाई क्षमता के वर्त्तमान राष्ट्रीय औसत के समकक्ष ला खड़ा करेगी , साथ ही पेय–जलापूर्त्ति एवं औद्योगिक इकाइयों को भी आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के सामने मुख्य रूप से झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति, आवश्यक निधि की अनुपलब्धता, वन भूमि अपयोजन, विस्थापन, नक्सलवाद इत्यादि मुख्य समस्याएँ हैं।

राज्य की मध्यम एवं वृहद् सिंचाई योजनाओं में वर्ष 2007 से 2011 तक (चार वित्तीय वर्षों में) रुपए 113.96 करोड़ के विरुद्ध मात्र 24.18

करोड़ रुपये की राशि ही भारत सरकार से प्राप्त हो सकी । इन दिक्कतों के बावजूद राज्य सरकार ने वांछित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं ।

राज्य की वर्षों से लम्बित मध्यम सिंचाई योजनाओं में से सात योजनाएँ (अजय, गुमानी, नकटी, सोनुआ, रामरेखा, सुरंगी, अपरशंख) इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी ।

सुवर्णरेखा परियोजना के चाण्डिल बाँध से बांयी मुख्य नहर में 85 कि.मी. तक जल प्रवाहित कर 27,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है । साथ ही गालूडीह बराज से 56 कि.मी. तक झारखण्ड भाग के नहरों में एवं 33 कि.मी. उड़ीसा भाग के नहरों में जल प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है । यह उपलब्धि भारत सरकार से माह फरवरी 2012 में राशि प्राप्त होने के बाद, मात्र छह–सात माह में ही हुई है ।

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं में कुल निर्गत राशि 450.39 करोड़ में से 330.34 जो 73% से अधिक है निर्धारित समय से पूर्व ही खर्च हो चुका है । इससे 27,686 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, एवं आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त Water sector reforms के क्षेत्र में झारखण्ड ने कई कदम उठाये हैं । Water sector reforms के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य द्वारा झारखण्ड राज्य जल नीति, Water Regularity Authority, सिंचाई प्रबन्धन में जन सहभागिता नियमावली, भूगर्भीय जल अधिनियम, वाल्मी, राज्य जल आयोग, सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अलग प्राधिकार के गठन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य ने योजनाओं के 3rd Party मूल्यांकण के क्षेत्र में भी पहल की है और सुवर्णरेखा परियोजना के लिए 3rd Party मूल्यांकण की व्यवस्था की जा रही है । विभाग की Website (wrdjharkhand.nic.in) का भी सृजन किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा संचालित ए.आई.बी.पी. योजनान्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के मोनिटरिंग हेतु अपनी Website पर एक MIS भी Launch किया है ।

जल के क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यापक विषय भी है जिनपर भारत सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा –

झारखण्ड राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा एक नवसृजित राज्य है । इस राज्य की अनेक नदियों से संबंधित अन्तरराज्यीय एकरारना में उस समय हुए थे, जब यह राज्य एकीकृत बिहार का हिस्सा था। आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम इन एकरारनामों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि यह राज्य के हित

में नहीं है। उदाहरणतया दामोदर–बराकर बेसीन के कुल कैचमेन्ट का लगभग 75%भाग झारखण्ड राज्य में पड़ता है, तथा इस बेसिन में डी.भी.सी. द्वारा निर्मित पाँच बड़े जलाशयों में से चार जलाशय (तिलैया, मैथन, पंचेत एवं कोनार) इसी राज्य में अवस्थित हैं जिसके कारण इस राज्य का बड़ा भूभाग सालों भर जल प्लावित रहता है जबकि इस एकत्रित जल का मात्र 25% ही इस राज्य को सिंचाई या अन्य क्षेत्र के लिए कर्णाकिंत है । इसी प्रकार मयूराक्षी बेसिन में निर्मित मसानजोर डैम जो पूर्णत: झारखण्ड राज्य में अवस्थित है परन्तु उसपर झारखण्ड राज्य का नियंत्रण नहीं है, 100% डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में पड़ने के बावजूद भी कुल सृजित सिंचाई क्षमता का 25 से 30% हिस्सा ही झारखण्ड राज्य को मिल पाता है । उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि दामोदर–बराकर बेसिन में भारत सरकार के नियंत्राधीन DVC Act (Damodar Valley Corporation Act) के अन्तर्गत गठित DVRRC (Damodar Valley Reservoir Regulatory Committee) के प्रावधानों के एवं मयूराक्षी बेसिन में जल के असमानुपातिक बंटवारे के बिन्दुओं पर पुन: समीक्षा की आवश्यकता भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है ।

भविष्य में आनेवाले समय में बढ़ती आबादी के कारण जल एक महत्वूपर्ण प्राकृतिक संसाधन हो जायेगा, इसलिए त्वरित गति से सुधारात्मक

कदम उठाने के लिए राज्य में संसाधनों की कमी है । अत: भारत सरकार से अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में राज्य को पर्याप्त सहायता मिल सके । इस हेतु राज्य की अपेक्षा है कि –

(क) झारखण्ड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी एवं असमतल है । इसके कारण कृषि योग्य भूमि एक जगह में समेकित रूप से मिलना मुश्किल होता है जबकि छोटी–छोटी योजनाएँ जिसका कमाण्ड एरिया कम है, यहाँ के लिए काफी उपयोगी है । इसके लिए ए.आई.बी.पी. के लघु सिंचाई योजनाओं में 50 हेक्टेयर कमाण्ड एरिया के शर्त्त को शिथिल करते हुए झारखण्ड जैसे पठारी राज्यों के लिए 20 हेक्टेयर किया जाना चाहिए ।

(ख) हमारे राज्य में लगभग 100 से अधिक मध्यम सिंचाई योजनाएँ 30 से 40 वर्ष पहले की बनी हुई है जिनकी सृजित क्षमता में काफी ह्रास हुआ है । इन योजनाओं के पूर्ण क्षमता प्राप्ति हेतु आवश्यक राशि Extension Rennovation and Modernization योजनामद से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है या इस उद्देश्य से सभी राज्यों की ऐसी पुरानी योजनाओं में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जा

सकता है ताकि इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ समाज को मिल सके।

(ग) झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए CWC के विषेषज्ञों द्वारा मार्ग दर्शन की ज्यादा जरुरत पड़ती है जिसके लिए वर्त्तमान में CWC के राँची अवस्थित कार्यालय को सृदृढ़ किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(घ) राज्य में शहरी जलापूर्त्ति एवं सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करने के लिए Inter State Basin transfer के लिए NWDA द्वारा DPR तैयार कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(ड.) ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत प्रस्तावित मध्यम सिंचाई योजनाएँ (तजना, रैसा, बटेश्वर स्थान, राढू एवं काँची) को प्राथमिकता के आधार पर लेने की आवश्यकता है।

(च) झारखण्ड राज्य के मुख्य बड़े शहर जैसे राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर में बढ़ती आबादी के कारण पेयजल, औद्योगिक जल की कमी एवं गिरते भूगर्भ जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए इन शहरों में उचित व्यवस्था के लिए बड़े परियोजनाओं

के निर्माण की आवश्यकता है। इस हेतु उचित व्यवस्था भी जल संसाधन मंत्रालय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, अत: इस क्षेत्र में भी भारत सरकार गंभीरता से विचार करते हुए झारखण्ड राज्य को वांछित सहायता प्रदान करना चाहेंगी ।

मैं पुन: केन्द्र सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार वंसल जी) को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अधिवेशन आयोजित कर राज्यों को अपने विचारों को केन्द्र सरकार के सामने रखने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया है और मुझे यह आशा है कि जल के sustainable प्रबन्धन की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा ।

****